छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,विधिक सेवा मार्ग, बिलासपुर
Chhattisgarh State Legal Services Authority, Vidhik Seva Marg,Bilaspur
495 001 Official Website- www.cgslsa.gov.in
e-mail cgslsa.cg@nic.in , cgslsa@gmail.com
Phone (07752) 410210, 417625 Telefax (07752) 410530

क्रमांक / 685 / II-13-01 / 2004 बिलासपुर, दिनांक 25 .03.2017

प्रति,

1. जिला न्यायाधीश / अध्यक्ष,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
.....................................समस्त (छ.ग.)

2. सचिव,
उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषयः— सोशल मीडिया के उपयोग संबंधी मार्गदर्शी निर्देश के संबंध में।

संदर्भः— छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के ज्ञापन क्र. 2550 / 523 / 21—अ / स्थापना / छ.ग. / 2017 रायपुर दिनांक 10.03.2017

विषयांतर्गत संदर्भित ज्ञापन के साथ संलग्न छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. एफ 7—42 / 2017 / एक—6 दिनांक 22.02.2017 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्नक प्रेषित है।

25/3/2017

संलग्न — उपरोक्तानुसार।

(अभिषेक शर्मा)
उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन
विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर (छ.ग.) 492002

क्रमांक 2550 / 523 / 21—अ / स्थापना / छ.ग. / 2017 नया रायपुर, दिनांक 10 MAR 2017

प्रति,

1) सदस्य सचिव
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
विधिक सेवा मार्ग,
बिलासपुर, (छ.ग.)

2) रजिस्ट्रार,
छ.ग. माध्यस्थम अधिकरण,
घड़ी चौक, रायपुर, (छ.ग.)

3) रजिस्ट्रार,
हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय,
उपरवारा, नया रायपुर, (छ.ग.)

विषयः— सोशल मीडिया के उपयोग संबंधी मार्गदर्शी निर्देश के संबंध में।

—000—

उपरोक्त विषयान्तर्गत छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर से प्राप्त पत्र क्रमांक एफ 7—42 / 2017 / एक—6, दिनांक 22.02.2017 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न संप्रेषित है।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

10.3.17

(के0एल0बागड़े)
अवर सचिव
विधि और विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय

15.3.2017

STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY
CHHATTISGARH
15 MAR 2017
RECEIVED 828

छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,
::मंत्रालय::
महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ 7–42/2017/एक–6 नया रायपुर, दिनांक 22 फरवरी, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिला पंचायत)
छत्तीसगढ़

विषयः–सोशल मीडिया के उपयोग संबंधी मार्गदर्शी निर्देश।

सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार होने के फलस्वरूप शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भी सोशल मीडिया का उपयोग में दिन–प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। चूंकि शासकीय अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये आचरण नियम बनाये गये है; उनको दृष्टिगत रखते हुए कर्मचारियों की सुविधा हेतु मार्गदर्शी निर्देश जारी करना आवश्यक हो गया है, जिससे पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करते समय सोशल मीडिया के दुरूपयोग एवं आचरण नियम के उल्लंघन से बचाव हो सके।

सोशल मीडिया के उपयोग संबंधी मार्गदर्शी निर्देश की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। कृपया मार्गदर्शी निर्देश का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाएं।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डी.डी.सिंह)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग,

पृ0क्रमांक एफ 7–42/2017/एक–6 नया रायपुर, दिनांक 22 फरवरी, 2017

<u>प्रतिलिपिः</u>–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित

1. राज्यपाल के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर ।
2. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
3. रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
4. अध्यक्ष, राजस्व मंडल, बिलासपुर ।
5. प्रमुख सचिव, छ0ग0 विधान सभा, सचिवालय, रायपुर ।
6. विशेष सहायक/निज सचिव समस्त माननी मंत्रीगण, राज्य मंत्रीगण/संसदीय सचिव, छ0ग0 रायपुर।
7. महानिदेशक, प्रशासन अकदमी, निमोरा, नया रायपुर।
8. सचिव, लोक सेवा आयोग, रायपुर।
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़ रायपुर।
10. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, छत्तीसगढ़ रायपुर।
11. महालेखाकार, छत्तीसगढ़ रायपुर।
12. संचालक, जनसम्पर्क छत्तीसगढ़ रायपुर।
13. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली।
14. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक आयोग/मानव अधिकार आयोग, रायपुर।
15. सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग/अनुसूचित जनजाति आयोग/अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, रायपुर।
16. अवर सचिव, महाधिवक्ता कार्यालय उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर ।
17. अध्यक्ष, जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति, आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पंडित रविशंकर शुक्त विश्वविद्यालय, परिसर रायपुर ।
18. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र मंत्रालय, नया रायपुर की ओर सामान्य प्रशासन विभाग के वेबसाईट www.cg.nic.in/gad पर अपलोड हेतु।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग संबंधी मार्गदर्शी निर्देश

1. प्रस्तावनाः–

शासकीय कार्यों में सोशल मीडिया के इस्तेमाल से शासन द्वारा नागरिकों को सूचना देने, उनसे जुड़ने और उनकी सहभागिता में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। ट्विटर, फेसबुक एवं वाट्सअप जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म नागरिकों से जुड़ने, उनके विचार जानने, उन्हें सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों से जुड़ी जानकारियां देने, प्रभावी सुशासन के लिए नयाचार और नए उपायों को संकलित करने के नये तरीके प्रदान करते हैं। सरकारी विभागों द्वारा लोक सेवाओं को सुलभ करने में, नागरिकों की राय और उनके अनुभव जानने, महत्त्वपूर्ण जनसूचनाएं पहुँचाने के लिए और नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य शासन सोशल मीडिया का प्रभावी उपयोग करना चाहती है।

छत्तीसगढ़ शासन के अधिकारियों/कर्मचारियों एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वर्तमान में लागू आचरण नियम सोशल मीडिया पर उनके आचरण के लिए भी लागू है। चूंकि सोशल मीडिया एक नया प्रौद्योगिक मंच है, अतः छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को इस नए माध्यम के प्रति और इसके उपयोग से होने वाले प्रभावों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए मार्गदर्शी निर्देश को जारी किया जा रहा है।

2. उद्देश्यः–

ये दिशा निर्देश छत्तीसगढ़ शासन, शासकीय विभागों तथा उनके अन्तर्गत संचालित अन्य सार्वजनिक उपक्रमों, मंडलों/निगमों/संस्थाओं के कर्मचारियों और अधिकारियों को सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करने/ प्रकाशित करने में विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से बनाये जा रहे हैं। ये दिशा निर्देश ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्क, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप्प, यूट्यूब, लिंक्ड इन, इंस्टाग्राम, पिनटेरेस्ट, गूगल प्लस और विकिपीडिया या अन्य किसी फोटो–विडियो शेयर करने वाले सोशल मीडिया प्लेटफार्म अथवा भविष्य के किसी भी आंतरिक साइटों या इंट्रानेट या सार्वजनिक डिजिटल मीडिया पर योगदान देने के लिए सहायक होंगे।

3. परिभाषाः–

सोशल मीडिया एक व्यापक शब्द है, जिसमे प्रौद्योगिकी एकीकरण, सामाजिक संपर्क, और सामग्री निर्माण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां शामिल है। सोशल मीडिया की विस्तृत परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के "सरकारी संगठनों के लिए, सोशल मीडिया के उपयोग के लिए फ्रेमवर्क और दिशा निर्देश" दस्तावेज में अधोलिखित वेबसाइट में उपलब्ध हैं:–
https://negp.gov. in/pdfs/Approved_Social_Media_Framework_and_Guidelines%20_2_.pdf.
अन्य सभी परिभाषाएं उचित प्रयोज्यता के साथ छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, 1968 में शामिल परिभाषाओं के समान ही है।

4. विस्तारः–

वर्तमान स्थिति में यह देखा गया है कि शासकीय अधिकारी आमतौर पर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं:
क) शासकीय प्रयोजनों/आधिकारिक सम्प्रेषण के लिए
ख) निजी प्रयोजनों के लिए

शासकीय प्रयोजनों और सरकारी सम्प्रेषण के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल हेतु इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की विस्तृत गाइडलाइन–"सरकारी संगठनों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल की रूपरेखा और दिशा निर्देश" अधोलिखित वेबसाइट पर मौजूद है:–
htps://negp.gov.in/pdfs/Approved_Social_Media_Framework_and_Guidelines%20_2_.pdf.

इस पत्र में दिये गये दिशा–निर्देश निम्न दो प्रकार के प्रयोजनों हेतु हैं तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, 1968 के प्रावधानों से उद्भूत हैं और निम्नानुसार दो प्रकार के कार्यों को अच्छादित करेगा।

1) सभी प्रकार के सोशल मीडिया के उपयोग के लिए सामान्य मार्गदर्शक सिद्धांत।
2) सोशल मीडिया के व्यक्तिगत उपयोग के लिए विशेष दिशा–निर्देश।

5. आचरण नियमः सोशल मीडिया का प्रयोग करते समय सभी अधिकारियों/कर्मचारियों से अपेक्षा है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 और अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम, 1968 के प्रावधानों को जाने, समझे और उनका कठोरता से पालन करें।

6. सोशल मीडिया पर पोस्ट करने हेतु सामान्य निर्देशः–

1. **शासकीय जानकारी की गोपनीयता बनाए रखेंः–** जब तक कि आपके शासकीय कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक न हो, शासकीय कार्यों से जुड़ी कोई भी गोपनीय स्वरूप की जानकारी या आतंरिक सम्प्रेषण का खुलासा न करें, न इससे जुड़े कोई पोस्ट करें और न ही ऐसे पोस्ट को शेयर करें। अगर आप संशय में हैं कि कोई जानकारी आतंरिक अथवा गोपनीय है या नहीं, अथवा इसे पब्लिक डोमेन में पोस्ट किया जाना चाहिए या नहीं, तो आप इस विषय में शासन से सलाह लें।

2. **सूझबूझ और विवेक से काम लेंः–** सोशल मीडिया या किसी अन्य सार्वजनिक मंच पर किसी भी सामग्री को पोस्ट करते समय ऐसे किसी बयान, फोटो, वीडियो या ऑडियो के उपयोग से बचे, जो दुर्भावनापूर्ण, अश्लील, या आपत्तिजनक हो सकता हो अथवा जिससे नागरिकों या साथी कर्मचारियों या सरकार की आलोचना या उत्पीड़न हो। उदाहरणार्थ, ऐसे कथन जिनसे किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता हो या जो जाति, रंग, धर्म, लिंग और अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय मूल, विकलांगता, वैवाहिक स्थिति, उम्र, यौन अभिविन्यास, या लागू कानून और नियमों द्वारा संरक्षित किसी अन्य वर्ग के साथ भेदभाव करते हो।

3. **सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट के लिए गोपनीयता (प्राइवेसी) की कोई उम्मीद न रखेंः–** सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते समय यह ध्यान रखें कि सोशल मीडिया में कोई भी तथ्य गोपनीय (प्राइवेट) नहीं रहता है। इसीलिए कुछ भी पोस्ट करते समय यह बात हमेशा ध्यान में रखें, कि हर समय आपका हर प्रकार का सम्प्रेषण (किसी भी प्रकार का पोस्ट – टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, ब्लॉग, कमैंट्स, लाइक, अन्य स्रोतों से शेयर की गई सामग्री, आदि) पब्लिक डोमेन में हैं अर्थात् सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित है।

4. **ऐसे कोई जानकारी, या समाचार पोस्ट न करे, जिसके बारे में आप निश्चित न हो या आप जानते हो कि यह जानकारी या समाचार भ्रामक अथवा असत्य है या वह किसी अज्ञात स्त्रोत से प्राप्त हुआ हो–** उदहारण के तौर पर ऐसे कई संदेश होते हैं जो व्हाट्सएप्प, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर शेयर किये जाते है लेकिन इनके स्त्रोत का पता नहीं होता है और न ही इनका पता लगाया जा सकता है। ऐसे सन्देशों को साझा करने से बचना चाहिये।

6. **किसी भी शासकीय या संवैधानिक संस्था की आलोचना न करें तथा न ही उनकी कार्यप्रणाली पर किसी प्रकार का आक्षेप लगायेंः–** जब तक यह आपके शासकीय दायित्वों का हिस्सा न हो, आप राज्य या केंद्र सरकार की नीतियों या इनसे जुड़ी संस्थाओं की आलोचना से बचे। संवैधानिक संस्थाओं/प्राधिकरणों या उनके आचरण की आलोचना से परहेज करें। किसी भी प्रकार की आलोचना या आक्षेप लगाने का

प्रयास स्वीकार्य नहीं होगा। इन संस्थाओं के कामकाज पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक टिप्पणी से परहेज किया जाये।

7. **सोशल मीडिया पर अपने व्यवहार में निष्पक्षता, सम्मान और विनम्रता बनाये रखें।**

8. **साइबर सुरक्षा को ध्यान में रख कर कार्य करें**:– सोशल मीडिया साइट हैकर्स को आकर्षित करती हैं और ऐसे में शासकीय नेटवर्क तथा आपका अपना कंप्यूटर और मोबाइल भी जोखिम में पड़ सकता है। असुरक्षित (Unprotected) अकाउंट एक बड़े व्यक्तिगत और व्यावसायिक खतरे में परिवर्तित हो सकता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए, सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसा पासवर्ड सेट करें जिसका अंदाजा आसानी से न लगाया जा सके। अगर आप सोशल मीडिया पर अधिक सक्रिय न भी हों तब भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट का समय–समय पर निरीक्षण करें। अधिक दिशा निर्देशों के लिए राज्य की आईटी नीति/सुरक्षा नीति देखें।

9. **गलतियां जल्द से जल्द सुधारें**:– अगर आपको आभास होता है कि यदि आपसे सोशल मीडिया पर कोई त्रुटि हुई है तो आप उसे तत्काल सुधारें।

10. **अगर सरकार की ओर से कंटेंट पोस्ट करना आपके दायित्व का भाग हो**:– अगर सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारियों का प्रचार करना या किसी गलत सूचना के प्रचार अभियान के विरुद्ध सामग्री पोस्ट करना आपके शासकीय दायित्वों का हिस्सा है और ऐसे पोस्ट आपसे आमतौर पर अपेक्षित है, तब भी आपके लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय विवेक से काम लेना तथा मर्यादा बनाये रखना अपेक्षित है।

11. **व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया का इस्तेमाल**:– उक्त दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप व्यक्तिगत रूप से सोशल मीडिया प्लेटफार्म का इस्तेमाल कर सकते है। कृपया ध्यान रखें कि तब भी संबंधित आचरण नियम तथा उक्त दिशा निर्देश आप पर लागू होंगे।

7. उक्त दिशा निर्देशों का उल्लंघन:–

उक्त दिशा निर्देश का उल्लंघन प्रचलित आचरण नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और तदानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी।

यह निर्देश मार्गदर्शी निर्देश है अंतिम नहीं है। अतएव सोशल मीडिया का उपयोग करते समय शासन के प्रचलित नियम/अधिनियम/परिपत्रों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिये।

22/2/2017

(विवेक ढॉड)
मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन